न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या –14/2016 (आव.व.अधि)

राज्य सरकार जरिये अमित शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक, कोटा

–प्रार्थी

बनाम

श्रीमति कविता सैनी पत्नि श्री शंभूलाल फिलिंग रेजीडेन्सी, 257 राजीव गांधी नगर, कोटा ।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6 ए
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक– 19.11.2019

1. संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि अमित शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक कार्यालय जिला रसद अधिकारी, कोटा द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि दिनांक 02.03.2016 को अवैध घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यावसायिक की रोकथाम हेतु गठित जांच दल (श्री अशोक सांगवा–जिला रसद अधिकारी एवं श्रीमति संख्या सिन्हा, प्रवर्तन अधिकारी, श्री अमित शर्मा– प्रवर्तन निरीक्षक) के द्वारा राजीव गांधी नगर स्थित हॉस्टल फिलिंग रेजीडेन्सी, 257 राजीव गांधी नगर, कोटा की आकस्मिक जांच की गई । वक्त मौका हॉस्टल पर मौजूद श्रीमति कविता सैनी पत्नि श्री शंभूलाल उपस्थित मिली जिन्होंने स्वयं को हॉस्टल का कार्यकर्ता होना जाहिर किया । श्रीमति कविता की उपस्थिति में दुकान की हॉस्टल की जांच की गई । जांच के दौरान घरेलू गैस का सिलेण्डर का उपयोग हॉस्टल के छात्रों हेतु भोजन निमार्ण कर कीमतन बिक्री की जा रही थी । हॉस्टल परिसर में तलाशी के दौरान पाये गये 1 घरेलू गैस सिलेण्डर को वजह सबूत जरिये फर्द जब्ती मौके पर ही जब्त किया गया, जिनका विवरण फर्द जब्ती में किया गया जिनका विवरण निम्नानुसार निम्न है–

S.N.	S.R.No.	Co.	T.W.	G.W	N.W. Gas
1-	592330	IOC	16.0 Kg	17.1 Kg	1-0 Kg

उक्त जब्तशुदा 1 घरेलू गैस सिलेण्डर को मौके पर ही मैसर्स कोटा कॉ–ऑपरेटिव, कोटा के कर्मचारी श्री दिलीप पुत्र बृजराज सिंह को सुपुर्दगी में दिये गये । सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया । इस प्रकार श्रीमति कविता सैनी पत्नि श्री शंभूलाल द्वारा अनुदानित घरेलू गैस सिलेण्डर्स का अवैध रूप से व्यावसायिक दुरूपयोग कर द्रवित पेट्रोलियम (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3 (बी), 4(1) (ए), 6 व 7 का स्पष्ट उल्लंघन किया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है ।

अतः उक्तानुसार अधिग्रहित कुल 01 घरेलू गैस सिलेण्डर्स मय उनमें भण्डारित एल.पी.जी. को राजसात करने के आदेश फरमावें । साथ ही जप्तशुदा

Scanned by CamScanner

गैस सिलेण्डर्स से एल.पी.जी.लीक हो सकने के कारण गैस सिलेण्डर्स का अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने का कष्ट करें ।

2. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 बी के अधीन नोटिस जारी किया गया । नोटिस अदम तामिल प्राप्त । तामिली रिपोर्ट में थानाधिकारी जवाहर नगर द्वारा रिपोर्ट अंकित की है कि 257, राजीव गांधी नगर के वार्डन ने बताया की पहले यहां रहती थी अभी पता नहीं कहां रहती है । इस प्रकार निर्धारित पते पर अप्रार्थीया के नहीं मिलने से प्रकरण के निस्तारण हेतु अप्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है । पेरोकार रसद की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया दिनांक 02.03.2016 को अवैध घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यावसायिक उपयोग की रोकथाम हेतु गठित जांच दल के द्वारा हॉस्टल फिलिंग रेजीडेन्सी, 257 राजीव गांधी नगर, कोटा की वक्त मौका जांच में हॉस्टल पर मौजूद कार्यकर्ता श्रीमति कविता सैनी पत्नि शंभूलाल उपस्थित मिले जिन्होंने स्वयं को हॉस्टल का कार्यकर्ता होना जाहिर किया । कविता की उपस्थिति में हॉस्टल की जांच की गई । जांच के दौरान 01 घरेलू गैस का सिलेण्डर का उपयोग छात्रों के लिए भोजन बनाकर कीमतन बिकी किया जाने पर राजहित में जब्त किये गये ।

4. इस प्रकार कविता सैनी पत्नि श्री शंभूलाल, फिलिंग रेजीडेन्सी, 257 राजीव गांधी नगर कोटा, द्वारा अनुदानित घरेलू गैस सिलेण्डर्स का अवैध रूप से संग्रहण कर द्रवित पेट्रोलियम (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3 (1), (ए),(बी) का स्पष्ट उल्लंघन किया है।

5. अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत सीज्ड माल 01 (एक) घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात (Confiscation) किया जाता है। जिला रसद अधिकारी कोटा को आदेश की प्रति पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तामील तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर की जावे।

6. निर्णय आज दिनांक 19.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम कसेरा)
जिला कलेक्टर, कोटा

Scanned by CamScanner